कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

स्थाई परिपत्र कमांक आसवनी/2008-09/10

विषयः-विनिर्माणी इकाइयों से स्प्रिट/विदेशी मदिरा/बीयर का परिवहन एवं निर्यात।

इस कार्यालय के स्थाई परिपत्र कमांक आसवनी/2006-07/4 दिनांक 21.11.2006 की कंडिका कमांक 1 में रेक्टीफाइड स्प्रिट के सड़क द्वारा परिवहन एवं निर्यात पर वाहन की गति 30 किलोमीटर प्रति घण्टा के आधार पर एवं वाहन का चालन प्रति दिन 8 घण्टे मानते हुए परमिट पर समय सीमा देने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त स्थाई परिपत्र में आंशिक संशोधन किया जाता है। 30 किलोमीटर के स्थान पर 35 किलोमीटर प्रति घण्टे की गति तथा प्रति दिन वाहन 400 किलोमीटर चलेगा यह मानते हुए रेक्टीफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए. के परिवहन/निर्यात पारपत्रों पर समय सीमा का अंकन किया जाए। गंतव्य स्थान 400 किलोमीटर से अधिक होने पर ही 24 घण्टे से अधिक का समय अंकित किया जाए। अन्य निर्देश स्थाई परिपत्र कमांक 4 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप होंगे।

2. आसवनियों, विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाइयों तथा बीयर विनिर्माणी इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे उनकी इकाइयों से जारी सभी तरह के परिवहन/निर्यात परमिटों की सूचना दूरभाष तथा फैक्स द्वारा तत्समय ही उपायुक्त आबकारी राज्यस्तरीय उड़नदस्ता को देंगे तथा इसका उल्लेख उनकी परिवहन/निर्यात पंजी में करेंगें। उपायुक्त आबकारी, राज्य उड़नदस्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे इस जानकारी को प्राप्त करने के लिये उनके कार्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी को नामजद करते हुए एक पंजी का संधारण करेंगे। जिसमें इस तरह दूरभाष /फैक्स से प्राप्त जानकारी की प्रविष्टि करायेंगे तथा परिवहन/निर्यात परमिट पर अंकित मार्ग में पड़ने वाले जिलों के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को तत्समय ही दूरभाष पर वाहन कमांक की जानकारी देते हुये इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे ताकि वे उक्त वाहन की परिवहन के दौरान जांच कर सकें। राज्य के समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्य हेतु एक पंजी का संधारण करेंगे जिसमें उपायुक्त आबकारी राज्य उड़नदस्ता से जानकारी प्राप्त होने का समय, दिनांक, वाहन कमांक इत्यादि जानकारी अंकित करते हुए उस पर सम्बन्धित मैदानी अधिकारियों को आवश्यक जांच के निर्देश जारी करेंगे। यह कार्यवाही 1 मई, 2008 से प्रारम्भ की जायेगी।

3. सभी आसवनियों, विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाइयों तथा यवासवनियों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे रेक्टीफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./विदेशी मदिरा/बीयर के निर्यात एवं परिवहन हेतु जारी किये जाने वाले परमिटों के लिये स्थानवार पृथक-पृथक परमिट बुक न रखें। एक ही तरह की शराब/स्प्रिट के निर्यात के लिये एक परमिट बुक रखी जाए तथा परिवहन के लिये भी एक ही परमिट बुक का उपयोग किया जाए।

(टी.धर्माराव) 24/04/08
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक 5(3)/08-09/1016 ग्वालियर, दिनांक 25-4-2008

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक बी-1-107/07/2/पांच दिनांक 1.4.2008 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आबकारी आयुक्त प्रशासन/तकनीकी मध्यप्रदेश
3. उपायुक्त आबकारी तकनीकी मुख्यालय ग्वालियर
4. उपायुक्त आबकारी, राज्य उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर पालनार्थ।
5. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश की ओर उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु।
6. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी डी-1/एफ.एल.9/एफ.एल.9-क/बी-3 की ओर पालनार्थ।
8. समस्त विनिर्माणी इकाई मेसर्स...
डी-1/एफ.एल.9/9-ए/बी-3
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आबकारी आयुक्त 24/4/08
मध्यप्रदेश

P.A.